दिल्ली–एनसीआर में 'गंभीर' प्रदूषण के बीच वर्ष 2023 की विदाई

कई इलाकों में पहली जनवरी को घने कोहरे की पीली चेतावनी जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

राजधानी दिल्ली के लोगों को साल के आखिरी दिन भी प्रदूषण से भरी खराब हवा से राहत नहीं मिली। चार सालों बाद इतनी ज्यादा प्रदूषित हवा के साथ साल विदा हुआ। रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 रहा।

इससे पहले वर्ष 2019 में 31 दिसंबर के दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 पर था। दिल्ली में इस बार गर्मी और मानसून का सीजन अपेक्षाकृत कम प्रदूषण वाला रहा था। लेकिन, अक्तूबर महीने में मानसून की वापसी के बाद से ही स्थिति में बदलाव आ गया। वहीं, पिछले कई दिनों से घने कोहरे का सामना कर रही दिल्ली पर अब कड़ाके की ठंड का हमला होगा। रविवार को भी दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम रहा। मौसम विभाग ने दिल्ली–एनसीआर के इलाकों में पहली जनवरी को घने कोहरे की पीली चेतावनी जारी की है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार नए वर्ष के पहले सप्ताह भी प्रदूषण मुक्त होने की संभावना नहीं है। रविवार को दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार में एक्यूआइ 425, द्वारका–सेक्टर 8 में 425, आरके में 426, मुंडका में 431 रहा। वहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली –एनसीआर में नए साल का आगाज ठिठुरन के साथ होगा। इसके पीछे की वजह बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर की हवाओं के चलने के कारण एक और दो जनवरी के बीच वर्षा होने की संभावना बताई गई। विभाग ने नए साल के पहले दिन सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना जताई है। सोमवार को पूरे दिन धुंध और कुहासे के बने रहने का भी पूर्वानुमान है। नए साल के पहले दिन बारिश का कोई अनुमान नहीं है। वहीं दो जनवरी से छह जनवरी तक के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक जा सकता है।

बीते पांच सालों में साल के अंतिम दिन प्रदूषण का स्तर

वर्ष	एक्यूआइ
2023	382
2022	349
2021	321
2020	347
2019	387

हवा की रफ्तार कम, अभी राहत की उम्मीद नहीं

पृथ्वी मंत्रालय द्वारा तैयार वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले तीन–चार दिनों के बीच हवा की रफ्तार आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहने की संभावना है। ज्यादातर समय में हवा शांत रहेगी या फिर चार किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहेगी। इसके चलते प्रदूषक कणों का बिखराव बेहद धीमा रहने का अनुमान है। इससे हवा बेहद खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं।

बीते साल के पहले दिन से राजधानी में होती रहीं रूह कंपाने वाली घटनाएं

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 31 दिसंबर।

दिल्ली में इस साल भी आपराधिक घटनाएं कम नहीं हुई। हर साल की तरह इस साल भी हत्या बलात्कार, छेड़खानी, लूट और चाकूबाजी की घटनाएं सामने आईं। इस कारण से दिल्ली लगातार सुर्खियों में रही। साल की शुरुआत से लेकर अंत तक हत्या की खबरें आती रहीं। आइए जानते हैं वे घटनाएं जिसने अधिक सुर्खियां बटोरीं और जिसकी हैवानियत सुनकर हर कोई दहल गया।

वेलकम हत्याकांड

उत्तरी–पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके के जनता मजदूर कालोनी में 21 नवंबर की देर रात 350 रुपए के लिए नाबालिग हत्यारा बन गया। नाबालिग की चाकू से गोद–गोदकर हत्या कर दी की। इस हत्या के पीछे की वजह 350 रुपए है। नाबालिग ने पहले पीड़ित का मुंह दबाया और जब पीड़ित बेहोश हो गया, तो नाबालिग लड़के ने उससे लगभग 350 रुपए लूटने से पहले उस पर कई बार चाकू से वार किया। फिर पैर से कुचला। इसके बाद वह शव के पास नृत्य भी करने लगा। अपराध करने के बाद भी वह गिरफ्तारी से पहले घंटों तक बिना किसी डर के इलाके में घूमता रहा और एक जगह पर खाना (बिरयानी) खा रहा था।

कंझावला हत्याकांड

बीते साल की शुरुआत ही दिल दहला देने वाली वारदात से हुई। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके के कंझावला में एक कार ने 1 जनवरी 2023 के तड़के स्कूटी सवार अंजलि सिंह को पहले टक्कर मारी, फिर उसे 12 किमी तक घसीटा। इससे उसकी मौत हो गई। शव कंझावला में सड़क पर पड़ा मिला था। इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनपर मुकदमा चल रहा है।

निक्की यादव हत्याकांड

10 फरवरी 2023 को साहिल गहलोत ने दिल्ली के निगमबोध घाट श्मशान घाट की पार्किंग में निक्की यादव की हत्या कर दी थी। आरपी ने उत्तर–पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में 40 किलोमीटर दूर अपनी फैमिली रेस्तरां की फ्रिज में लाश छिपा दी। साहिल ने उसकी हत्या की साजिश तब बनाई, जब उसके परिवार वाले किसी और लड़की से शादी करने का दबाव डाला। साहिल ने सगाई भी कर ली थी। निक्की की हत्या के बाद वह अपने तिलक समारोह के लिए चला गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। साहिल पर भी मुकदमा चल रहा है।

शाहबाद डेयरी हत्याकांड

बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई 2023 की रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। साहिल नाम के युवक ने एक नाबालिग लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। साहिल ने साक्षी पर चाकू से 34 वार किए थे। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने पत्थर से कुचलकर लड़की की हत्या कर दी। इस मर्डर का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी नाबालिग लड़की पर लगातार चाकू से हमला करता दिख रहा था। आस–पास से लोग गुजर भी रहे थे, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया। साहिल अभी पुलिस की गिरफ्त में है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
आसफ अली रोड शाखा, 1/20, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
दूरभाष : 011–23237020, 23215377, ई–मेल : d0435@psb.co.in
दिनांक : 05/12/2023

1. **श्री सचिन गांधी पुत्र अशोक गांधी,** फ्लैट नं. ई 2–89, भू तल, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085, अन्य पता यहां पर भी : श्री सचिन गांधी पुत्र अशोक गांधी, फ्लैट नं.– जी.एफ. 4 भू तल (पीछे की ओर), प्लॉट नं. ए–3/5, एम.आई.जी. डीएलएफ कॉलोनी अंकुर विहार, लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201102, अन्य पता यहां पर भी : श्री सचिन गांधी पुत्र अशोक गांधी, डी–145, सेक्टर–18, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
2. **श्रीमती शालिनी गांधी पत्नी सचिन गांधी,** फ्लैट नं. ई 2–89, भू तल, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली –110085, अन्य पता यहां पर भी : श्रीमती शालिनी गांधी पत्नी सचिन गांधी, फ्लैट नं. जी.एफ. 4, भू तल (पीछे की ओर), प्लॉट नं. ए–3/5, एम.आई.जी., डीएलएफ कॉलोनी अंकुर विहार, लोनी, जनपद–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102, अन्य पता यहां पर भी : श्रीमती शालिनी गांधी पत्नी सचिन गांधी, डी–145, सेक्टर–18, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
3. **श्री सुरिंदर कुमार गांधी पुत्र नारायण दास गांधी,** मकान नं. 26/138, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली –110008, अन्य पता यहां पर भी : दुकान नं.–28, डीडीए ट्रांसपोर्ट सेंटर, न्यू रोहतक रोड, पुन–बाग, नई दिल्ली–110035

संदर्भ : वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम 2002) की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

श्रीमान/श्रीमती,
1. कि आप एड्रेसी(सीज) नंबर 1 और 2 ने बैंक से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था और अनुरोध पर बैंक ने माह जुलाई 2010 में आपको निम्नलिखित सुविधा स्वीकृत की थी एवं इसकी अनुमति प्रदान की थी : ऋण खाता सं. 04351200000113 द्वारा रु. 12,17,520/– (रुपये बारह लाख सत्रह हजार पांच सौ बीस मात्र) का आवासन ऋण।
उपरोक्त ऋण सुविधा को अचल संपत्ति अर्थात् फ्लैट नं. जी.एफ.4 पर भू तल (पीछे की ओर) निर्मित, छताधिकारों के बिना, प्लॉट नं. ए–3/5 एम.आई.जी., डीएलएफ कॉलोनी, अंकुर विहार, लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102, जो कि एड्रेसी नं. 2 से संबंधित है, के संदर्भ में साम्यिक बंधक के माध्यम से विधिवत ढंग से प्रतिभूत किया गया था।
2. कि आप एड्रेसी नं. 1 व 2 ने दिनांक 14/07/2010 को उपरोक्त सुविधा के संबंध में विभिन्न ऋणकारक प्रलेख को निष्पादित किये थे तथा इन्होंने उपरोक्त सुविधा के संदर्भ में, समय–समय पर बैंक के दिशानिर्देशों तथा मासिक शेषों के साथ बीपीएलआर–3 प्रतिशत अर्थात् 10.50 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज की दर का भुगतान करने के लिए भी सहमत हुए थे।
3. कि आप एड्रेसी नं. 3 जो हैं वे उक्त ऋण सुविधा पर विचार करने की समयावधि में एड्रेसी नं. 1 व 2 के लिए गारंटर(रों) के रूप में खड़े हुए थे, और आप ने बैंक के पक्ष में 14/07/2010 को निरंतरकारक गारंटी का विलेख निष्पादित किया था और इस प्रकार एड्रेसी(सियों) नं. 3 की देयता जो है वह एड्रेसी नं. 1 व 2 के साथ सह–व्यापी एवं निरंतरकारक है तथा आप सभी संयुक्त रूप में एवं गंभीर रूप में बैंक को ब्याज, लागतों एवं अन्य सामान्य बैंक शुल्कों सहित बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
4. कि आप एड्रेसी नं. 2 ने एड्रेसी नं. 1 एवं 2 को उपरोक्त कथित ऋण सुविधा पर विचार करने की समयावधि में बैंक की बकाया देयराशियों को प्रतिभूत करने के लिये अचल संपत्ति अर्थात् **फ्लैट नं. जी.एफ.4 पर भू तल (पीछे की ओर) निर्मित, छताधिकारों के बिना, प्लॉट नं. ए–3/5 एम.आई.जी., डीएलएफ कॉलोनी, अंकुर विहार, लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102** के संबंध में साम्यिक बंधक सृजित किया है। बंधककृत संपत्ति के विवरण निम्नानुसार हैं :–
क. बंधककर्ता का नाम : एड्रेसी नं. 2. श्रीमती शालिनी गांधी
ख. बंधकग्राही : पंजाब एण्ड सिंध बैंक
ग. प्रतिभूत राशि : रु. 12,17,520/–
घ. ब्याज की दर : बीपीएलआर–3 प्रतिशत अर्थात् 10.50 प्रतिशत
ङ. बंधककृत संपत्ति के विवरण : निर्मित संपत्ति सं. फ्लैट नं. जी.एफ. 4, भू तल (पीछे की ओर), छताधिकारों के बिना, प्लॉट नं. ए–3/5, एम.आई.जी., डीएलएफ कॉलोनी, अंकुर विहार, लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102.
च. स्वामित्व विलेख(खों) के विवरण : पंजीकरण सं. 18427 बही नं. I में, खंड सं. 15890 पृष्ठ 145–184 पर दिनांक 14/07/2010 को उप–रजिस्ट्रार (चतुर्थ), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में पंजीकृत।
छ. संपत्ति निम्नानुसार परिसीमित है :
उत्तर : प्लॉट नं. ए–3/6 दक्षिण : प्लॉट नं. ए–3/4
पूर्व : प्लॉट नं. एम.एम. 15 व 16 पश्चिम : 12 मीटर चौड़ी सड़क
ज. वर्तमान देय राशि : **रु. 8,13,238.91 (रुपये आठ लाख तेरह हजार दो सौ अड़तीस तथा इक्यानबे पैसे मात्र) 30/11/2023** के अनुसार साथ राशि पर ब्याज।
5. उक्त सावधि ऋण राशि ब्याज सहित 240 किस्तों / इक्वेटेड मासिक किस्तों के अंतर्गत प्रतिभुगतानयोग्य थी। पूर्ण भुगतान की तिथि तक मासिक शेषों के साथ बीपीएलआर– 3 प्रतिशत अर्थात् 10.50 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज के अतिरिक्त।
6. कि आप उस स्थिति में मासिक शेषों के साथ ब्याज की सामान्य अनुबंधित दर पर तथा इससे अधिक दर पर 2.00 प्रतिशत वार्षिक की दर पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के लिये सहमत हुये थे, जबकि यदि संस्वीकृत एवं ऋणकारक प्रलेखों के नियमों एवं शर्तों में त्रुटि हो।
7. दिनांक 30.11.2023 को उपरोक्त वर्णित ऋण खाते को अधिनियम की धारा 2 (ओ) की परिभाषा के अंतर्गत, अनार्जनकारक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
8. कि मेरा बैंक खाते की नियमित बहियों का अनुरक्षण करता है तथा अब 04351200000113 खाते में रु. 8,13,238.91 की एक राशि तथा इस प्रकार रु. 8,13,238.91 की एक कुल राशि 30.11.2023 तक ब्याज सहित और भावी ब्याज एवं व्ययों के साथ विधिक रूप में आप उपरोक्त नामक एड्रेसीज की ओर से देय एवं वसूलीयोग्य है और आप सभी संयुक्त रूप में एवं पृथक रूप में, पूर्ण भुगतान किये जाने/होने की तिथि तक ब्याज, लागत एवं अन्य सामान्य बैंक शुल्कों के साथ बैंक को उक्त बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
9. कि ब्याज की दर बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार समय–समय पर भिन्न–भिन्न होती है तथा ब्याज की वर्तमान दर 11.70 प्रतिशत वार्षिक है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 01–04–2002 से प्रभावी मासिक शेषों के साथ है।
10. कि आप ने बैंक की उन बकाया राशियों के प्रतिभुगतान में चूक की है जो ऊपर उल्लिखितानुसार प्रतिभूत है।
11. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उप–धारा 13 के संदर्भ में आप बैंक की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस सूचना में विवरणित उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।
12. बैंक के पास बकाया ऋण के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली देनदारियों का प्रतिभुगतान करने के लिए आपको कॉल करने का अपना अधिकार सुरक्षित है।
13. आपका ध्यान, सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप बैंक द्वारा वहनकृत समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ बकाया देयताओं की संपूर्ण राशि का भुगतान, जनसाधारण से कोटेशनें व निविदा आमंत्रित करके की जानेवाली सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रयार्थ अथवा निजी संधि की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान में रखें कि यदि आप जनसाधारण से कोटेशनें व निविदा आमंत्रित करके की जानेवाली सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रयार्थ अथवा निजी संधि की सूचना के प्रकाशन से पूर्व बैंक द्वारा वहनकृत समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ बकाया देयताओं की संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आप प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को ऋण से विमोचित करने के अधिकारी नहीं हो सकते।
14. कृपया ध्यान दें कि यह सूचना आपको बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों, जिसमें कि उपरोक्त बकाया राशियों की वसूली के लिए उपयुक्त न्यायालयों एवं/तथा न्यायाधिकरणों के समक्ष उपयुक्त विधिक कार्यक्रम आरंभ करने का उपाय भी सम्मिलित है, के पूर्वाग्रह के बिना भेजी गई है। यह सूचना, संशोधितानुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 की धारा 138 तथा / अथवा संशोधितानुसार पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम 2007 के अंतर्गत, बैंक द्वारा प्रस्तुत किसी भी शिकायत के अभियोजन को अभियोजित करने के लिए बैंक के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना भी है।
मैं, इसलिए, इस विधिक सूचना के आधार पर, एतद्द्वारा आप सभी अर्थात् एड्रेसी नं. 1, 2 एवं 3 का संयुक्त रूप में तथा पृथक रूप में आह्वान करता हूं तथा इस सूचना की प्राप्ति से 60 दिवसों के अंदर बैंक को 01–12–2023 से प्रभावी मासिक शेषों, एवं अन्य शुल्कों के साथ 01–12–2023 से प्रभावी ब्याज के साथ पूर्ण देनदारियों के भुगतान का निर्वहन करने को कहता हूं। ऐसा करने में विफल रहने पर, बैंक उपरोक्त प्रतिभूत देनदारियों की वसूली के लिये सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अध्याय III के प्रावधानों के अंतर्गत नियत उपाय अपनाने के लिये बाध्य होगा तथा उस प्रकरण में आप उससे उत्पन्न समस्त लागतों एवं अन्य व्ययों का भुगतान करने के लिये संयुक्त रूप में एवं पृथक रूप में उत्तरदायी होंगे।
कृपया ध्यान दें कि इस सूचना की प्रति हमारे कार्यालय में सुरक्षित रखी गई है।

आपका भवदीय,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक (प्राधिकृत अधिकारी)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
बी.ओ.: विवेक विहार, डी 100, विवेक विहार, नई दिल्ली–110095
फोन: 011–43504641, ई–मेल: d1245@psb.co.in
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **पंजाब एंड सिंध बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.9.2023 जारी कर ऋणधारकों एवं गारंटरों 1) **श्री अरुण कुमार ऊर्फ अरुण कुमार कोहली, पुत्र श्री नंद किशोर, 2) श्रीमती ममता, पत्नी अरुण कुमार कोहली ऊर्फ अरुण कुमार, 3) श्री गौरव कोहली, पुत्र श्री अरुण कुमार ऊर्फ अरुण कुमार कोहली** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 1) खाता सं. 12451200000174 में **रु. 34,43,731.74** (रु. चौंतीस लाख तैंतालिस हजार सात सौ इक्कतीस पैसे चौहत्तर मात्र) तथा 2) **खाता सं. 12451200000175** में **रु. 8,10,538.83/–** (रु. आठ लाख दस हजार पांच सौ अड़तीस पैसे तिड़ासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **आज, 29.12.2023 को 3.30 बजे अप.** में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे की लागत, ब्याज तथा खर्चे आदि के साथ 1.10.2023 को **रु. 42,54,270.57/–** की राशि के लिये **"पंजाब एंड सिंध बैंक (बीओः विवेक विहार शाखा)** के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

सम्पत्ति की अनुसूची
अचल सम्पत्ति का विवरण
"गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः सामूंहिक सुविधाओं जैसे पैसेज, प्रवेश, सीढ़ियों, लिफ्ट सहित स्टिल्ट तल पर कॉमन पार्किंग तथा वाटर टंकी/डिश टीवी के संस्थापन/प्रबंधन के अधिकार के साथ गली नं. 3, पूर्वी रोहताश नगर, ईलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 की आबादी में ग्राम सिकदरपुर के क्षेत्र में स्थित निर्मित दूसरा तल, छत तथा टैरेस के अधिकार के बिना तथा केवल सीलिंग लेवल तक अधिकार के साथ, कवर्ड एरिया माप 84.45 वर्ग मी., सम्पत्ति सं. 1/6148, पुराना प्लॉट नं. 32 जो खसरा नं. 363/356 में शामिल है। टाइटल डीड- पंजीकरण सं.–3525, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 3058 में, पेज–168 से 180 में, तिथिः 18.06.2019"
सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः अन्य की सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति, पूर्वः अन्य की सम्पत्ति, दक्षिणः रोड/10 फीट चौड़ी गली।

तिथिः 29.12.2023, स्थानः दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी) पंजाब एंड सिंध बैंक

प्रपत्र जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण ("ईओआई") के लिए
वीवी मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में विकास मल्टीप्लेक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
रियल एस्टेट के निर्माण और व्यापार का संचालन विकास मॉल– में प्लॉट नं एमपी–1, इंदिरा नगर कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड–248006
(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमवली, 2016 के विनियमन 36ए (1) के तहत
सुसंगत विवरण

1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी नंबर के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नाम	**वीवी मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में विकास मल्टीप्लेक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)** पैनः AACCV5036A सीआईएनः U45201 UP2006PTCO32578
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	एफ.एफ.–53, प्रथम तल, अंसल फॉर्च्यून आर्केड (एएफए), सेक्टर–18, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी
3.	यूआरएल का वेबसाइट	उपलब्ध नहीं है
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां में स्थित हैं	विकास मॉल– प्लॉट नं एमपी–1, इंदिरा नगर कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड–248006
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	सीडी रियल एस्टेट के निर्माण और व्यापार में लगी हुई है और विकास मॉल में प्रमुख निवेश – प्लॉट नंबर एमपी –1, इंदिरा नगर कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड – 248006
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	उपलब्ध नहीं है
7.	कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (शेड्यूल के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियों सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं:	http://arck-in, केस सूची के अंतर्गत "वीवी मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड"
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	समाधान योजना के साथ समाधान पेशेवर ("आरपी") से संपर्क करने के लिए समाधान आवेदकों (अकेले, संयुक्त रूप से या संघ में) के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडः 1. दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित न्यूनतम नेट–वर्थ 5 करोड रुपये है 2. एआरसीएस''/एनबीएफसी/एआईएफ सहित वित्तीय संस्थाओं के लिए – एयूएम/ फंड तैनात/प्रतिबद्ध फंड 31–03–2023 से पहले नवीनतम उपलब्ध बैलेंस शीट के अनुसार 100 करोड़ रुपये के निवेश के लिए उपलब्ध हैं। ''एआरसी की भागीदारी भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों और विनियमों के अधीन है विभिन्न पात्रता मानदंड वाले उपरोक्त दो वर्गों से संबंधित आवेदकों के बीच एक संघ की स्थिति में, पात्रता की गणना संघ में उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी। संपूर्ण विवरण/विस्तृत ईओआई वेबसाइट www.arck.in पर उपलब्ध है या ई–मेल vvmultiplexibc@gmail.com पर मांगा जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	16/01/2024
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	23/01/2024
12.	अनन्तिम सूची पर आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28/01/2024
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	30/01/2024
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	30/01/2024
15	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	29/02/2024
16	ईओआई जमा करने के हेतु ईमेल आईडी प्रोसेस करें	vvmultiplexibc@gmail.com

दिनांकः 01.01.2024
स्थानः गौतमबुद्धनगर
वीवी मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
(पूर्व में विकास मल्टीप्लेक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
संदीप महाजन– रेजोल्यूशन प्रोफेशनल
आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः आईबीबीआई/आईपीए–001/आईपी–पी00991/2017–2018/11631)
एएफए वैध तकः 17.12.2024
पताः सी2/288, जनक पुरी, नई दिल्ली –110058
ईमेलः vvmultiplexibc@gmail.com
मोबाइलः 9810020531,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः 272 कैप्टन गौड़ मार्ग, फेज़–3, ओखला, नई दिल्ली–110020
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला फेज–3 शाखा, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 31–07–2023 जारी की थी, जिसमें **कर्जदार : श्री राजेश कुमार नागी (NAGI) पुत्र श्री हरि कृष्ण नागी और श्रीमती सीमा नागी पत्नी राजेश कुमार नागी से सूचना** में वर्णितानुसार बकाया राशि **रु. 17,94,007/– (रु. सत्रह लाख चौरानवे हजार सात मात्र)** का भुगतान 31–07–2023 की प्रभावी तिथि से भावी ब्याज और अनुषंगी प्रभारों के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा **30–12–2023** को प्राप्त कर लिया है।
एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला फेज–3 शाखा, नई दिल्ली की बकाया राशि **रु. 17,94,007/– (रु. सत्रह लाख चौरानवे हजार सात मात्र)** तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन :
फ्लैट नंबर 302, तृतीय तल, बैक साइड, प्लॉट नंबर आरजैड–एच–2/64–ए, खसरा नंबर 79/24, ग्राम–पालम, महावीर एन्क्लेव कालोनी, नई दिल्ली–110045.
निम्नानुसार परिबद्ध :–
उत्तर : रोड **दक्षिण :** गली
पूरब : आरजैड–एच–2/64–लक्ष्मी निवास **पश्चिम :** आरजैड–एच–2/65–राजीव रंजन

स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी,
तिथिः 30/12/2023 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला फेज़-3 शाखा, नई दिल्ली

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN: L65910KL1992PLC006623,
Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House,
P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना
विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.01.2024 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.
गिरवियों की सूची :
दिल्ली, भोलेनाथ नगर दिल्ली, 12157070001 5698, 5706, गीता कॉलोनी, 10759070003 0797, 1117, कालकाजी, 10087070007 7900, 10087073004 3096, लक्ष्मी नक्षर, 10089070006 9736, 9831, 9846, 9912, 10089070007 0236, 0296, मंगाल पुरी, 10904070005 9924, 10904070006 0635, 0682, 0718, 10904073003 0619, रानीबाग, 10872070001 7312, शालीमार बाग, 10278073001 7541, शास्त्री नक्षर, 10845073002 7270, 7271, 7273, विश्वास नगर दिल्ली, 12333070003 0318, 0650, 0654, 0673, पर्व दिलली, भजनपुरा दिल्ली, 12204070006 9747, 12204073002 2061, दिलशाद कॉलोनी, 12033070004 9421, 12033070005 0004, 0161, दिलशाद गार्डन, 12203070002 7360, 7680, दुर्गापुरी चौक दिल्ली, 11887070004 1727, 1840, गुरु अंगद नक्षर, 10998073001 3493, जगतपुरी दिल्ली, 12084070001 2103, 2128, मयूर विहार फेज1, 10463070004 1653, 2058, 2440, 2446, 2475, 10463073002 3922, मयूर विहार फेज 3, 11624070004 8018, 8414, 8418, 11624073002 7236, मौजपुर दिल्ली, 12269070003 7197, 7328, 7332, 12269075000 0026, नयी दिलली, इन्द्रा पार्क, 11120070001 9147, 9346, जनकपुरी डी ब्लॉक, 10841070004 1009, 10841073005 1536, 1881, करोलबाग, 10085070004 4001, 10085073002 4178, 4706, 4758, महावीर एन्क्लेव, 10976070002 4251, 10976073003 2264, महावीर नक्षर, 11491070001 8948, नजफगढ़, 10881073002 5612, नांगलोई मार्केट, 10858073002 2208, 2462, 2609, नरैना रिंग रोड, 10887070001 6097, 6123, पहाडगंज, 10873073003 0186, पालम कॉलोनी, 10776070002 0929, पिरागढ़ी, 10864070003 0403, 0616, 10864073002 5451, रघुबीर नक्षर, 12341070004 9756, 12341073002 6490, राजापुरी, 10968070002 9127, स्वरुप नगर दिल्ली, 12342070001 6671, तिलक नक्षर, 10086073005 7937, तुगलकाबाद एक्स्टेंशन कालकाजी, 11111070005 0891, 0928, उत्तम नक्षर, 10763070004 2432, 10763073005 3641, 5428, उत्तर दिलली, भोरगढ़ दिल्ली, 12454070001 4862, मॉडल टाउन, 10901070002 0589, 0869, रोहिणी सेक्टर 3, 10967070002 2978, सुभाष नगर दिल्ली, 12687070001 6717, पश्चिम् दक्षिण, महिपालपुर, 10768070002 1233, वसंत कुंज, 10780073003 8257, पश्चिम् दिलली, चाणक्य प्लेस दिल्ली, 12373070002 7642, 12373073004 2531, इंदरपुरी, 11172073004 0241, केशोपुर डेपो दिल्ली, 12071073002 4910, विष्णु गार्डन, 11132070002 0884, 1201,
उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:– इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/– नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 8089292353 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आदेश 5 नियम 1 व 5)
समक्षः न्यायालय उदय प्रताप सिंह पीठासीन अधिकारी, कामर्शियल कोर्ट द्वितीय, (जिला पंचायत भवन), निकट कोतवाली कासना, गौतम बुद्ध नगर।
मूल वाद संख्या 712/2018
पंजाब एवं सिंध बैंक एक बाडी कार्पोरेट है जो कि बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजिशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डरटेकिंग अधिनियम 1980) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है और जिसका मुख्य कार्यालय 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली है और जिसकी कई अन्य शाखायें हैं। जिसमें से एक शाखा मुरादनगर गाजियाबाद में है, द्वारा प्रबंधक श्री सुनील भाटिया पुत्र श्री एच. एस. भाटिया उम्र 54 वर्ष आधार संख्या–263154200111, मो०–9289756580, ईमेल आई.डी. m0862@psb.co.in। ....वादी
बनाम
1. **आशुतोष शर्मा पुत्र श्री सुनील कुमार** निवासी आर–7/डी–28, राज नगर, जिला गाजियाबाद।
दूसरा पताः आशुतोष शर्मा पुत्र श्री सुनील कुमार कार्यस्थलः– मैसर्स शर्मा बिल्डिंग एवं मैटेरियल दुकान नं० 56, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, संजय नगर, जिला, गाजियाबाद।
2. **शोभित चौहान पुत्र श्री सहदेव सिंह** निवासीः मकान नं०–09, श्री राम कालोनी, डासना जिला, गाजियाबाद।
3. **सुनील शर्मा पुत्र श्री शादी लाल शर्मा** निवासीः आर–7/डी–28, राज नगर, जिला, गाजियाबाद। (मृतक)
3/1 वन्दना शर्मा पत्नी सुनील शर्मा निवासीः आर–7/डी–28, राज नगर, जिला, गाजियाबाद।
3/2 दीपिका शर्मा पुत्री सुनील शर्मा निवासीः आर–7/डी–28, राज नगर, जिला, गाजियाबाद।
3/3 आशुतोष शर्मा पुत्र सुनील कुमार निवासीः आर–7/डी–28, राज नगर, जिला, गाजियाबाद।
.... प्रतिवादी
हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत धनवसूली अंकन 9,56,116/– दायर किया है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 27.02.2024 बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम कुतलिल्लका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सके हाजिर हो और जवाब देही दावा की करें, और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद अपनी जवाब देही के इस्तेमाल करना चाहते हों।
आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 20.12.2023 जारी किया गया।
आदेशानुसार मुन्सरिम,
न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट द्वितीय, गौतमबुद्धनगर

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
आसफ अली रोड शाखा, 1/20, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
फोनः 011–23237020, 23215377, ई–मेलः d0435@psb.co.in
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **पंजाब एंड सिंध बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.09.2023 जारी कर ऋणधारकों/गारंटरों श्री हिमांशु कालिया (ऋणधारक), श्रीमती ट्विंकल कालिया (ऋणधारक) सभी निवासीः फ्लैट नं. 80, प्रथम तल, वसुदेव नगर, अंधा मुगल, दिल्ली–110007 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ 30.9.2023 को रु. 2,99,459/- (रु. दो लाख निन्यानवे हजार चार सौ उन्सठ मात्र) के साथ ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक/गारंटर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **आज, 30.12.2023 को** अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ 30.9.2023 को रु. 2,99,459 (रु. दो लाख निन्यानवे हजार चार सौ उन्सठ मात्र) के साथ ब्याज तथा अन्य चार्जेज के लिये "**पंजाब एंड सिंध बैंक** के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
स्थानः निर्मित सम्पत्ति, फ्लैट नं.–80, छत के अधिकार के साथ प्रथम तल, वसदेव नगर, अंधा मुगल, दिल्ली–110007. बिक्री प्रलेख तिथि 10.8.2011 जो जसविन्दर कौर द्वारा हिमांशु कालिया तथा ट्विंकल कालिया के पक्ष में निष्पादित किया गया। पंजीकरण सं. 7025, बुक नं. 1, वॉल. नं. 3956, पेज 38 से 42 में तिथि 6.8.2011 को जो उप–रजिस्ट्रार I, नई दिल्ली कार्यालय में पंजीकृत है। **सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः**
उत्तरः रोड, दक्षिणः रोड, पूर्वः फ्लैट नं. 77, पश्चिमः रोड
मापः 27.00 वर्ग मी.
सम्पत्ति के स्वामीः हिमांशु कालिया तथा ट्विंकल कालिया

तिथिः 30.12.2023 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली पंजाब एंड सिंध बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
आसफ अली रोड शाखा, 1/20, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
फोनः 011–23237020, 23215377, ई–मेलः d0435@psb.co.in
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **पंजाब एंड सिंध बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.09.2023 जारी कर ऋणधारकों/गारंटरों श्री हिमांशु कालिया (ऋणधारक), श्रीमती ट्विंकल कालिया (ऋणधारक) सभी निवासीः फ्लैट नं. 80, प्रथम तल, वसुदेव नगर, अंधा मुगल, दिल्ली–110007 तथा अशोक कुमार (गारंटर), निवासीः मकान सं. 48सी, राम दत्त एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ 30.9.2023 को रु. 8,89,659.84 (रु. आठ लाख नवासी हजार छः सौ उन्सठ पैसे चौड़ासी मात्र) के साथ ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक/गारंटर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **आज, 30.12.2023 को** अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ 30.9.2023 को रु. 8,89,659.84 (रु. आठ लाख नवासी हजार छः सौ उन्सठ पैसे चौड़ासी मात्र) के साथ ब्याज तथा अन्य चार्जेज के लिये "**पंजाब एंड सिंध बैंक** के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
स्थानः निर्मित सम्पत्ति, फ्लैट नं.–80, छत के अधिकार के साथ प्रथम तल, वसदेव नगर, अंधा मुगल, दिल्ली–110007. बिक्री प्रलेख तिथि 10.8.2011 जो जसविन्दर कौर द्वारा हिमांशु कालिया तथा ट्विंकल कालिया के पक्ष में निष्पादित किया गया। पंजीकरण सं. 7025, बुक नं. 1, वॉल. नं. 3956, पेज 38 से 42 में तिथि 6.8.2011 को जो उप–रजिस्ट्रार I, नई दिल्ली कार्यालय में पंजीकृत है। **सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः**
उत्तरः रोड, दक्षिणः रोड, पूर्वः फ्लैट नं. 77, पश्चिमः रोड
मापः 27.00 वर्ग मी.
सम्पत्ति के स्वामीः हिमांशु कालिया तथा ट्विंकल कालिया

तिथिः 30.12.2023 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली पंजाब एंड सिंध बैंक

www.readwhere.com